क्रम संख्या–196

पंजीकृत संख्या–यू0ए0/डी0ओ0/डी0डी0एन0/30/2012–14
(लाइसेन्स टू पोस्ट विदाउट प्रीपेमेन्ट)

सरकारी गजट, उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

देहरादून, मंगलवार, 16 जुलाई, 2013 ई0
आषाढ़ 25, 1935 शक सम्वत्

उत्तराखण्ड शासन

गृह अनुभाग–3

संख्या 4520/XX–3–2012–05(09) 2011
देहरादून, 16 जुलाई, 2013

अधिसूचना

राज्यपाल, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (केन्द्रीय अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) की धारा 357–"क" द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार से समन्वय कर एतद्द्वारा अपराध से पीड़ित व्यक्ति या उसके आश्रितों, जिन्हें अपराध के परिणामस्वरूप हानि या अभिघात हुआ हो, की सहायता एवं पुनर्वास के उद्देश्य से कोष उपलब्ध कराने के लिए सहर्ष निम्न योजना निर्मित करते हैं :–

उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013

संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ

1.(1) इस योजना का संक्षिप्त नाम उत्तराखण्ड अपराध से पीड़ित सहायता योजना, 2013 है।

(2) यह दिनांक 31 दिसम्बर, 2009 से प्रवृत्त हुई समझी जायेगी।

परिभाषाएं

2. इस योजना में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो :–

(क) "**अधिनियम**" से दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 (अधिनियम सं0 2 वर्ष 1974) अभिप्रेत है ;

(ख) "**अनुसूची**" से इस योजना के अन्तर्गत संलग्न अनुसूची अभिप्रेत है ;

(ग) "**राज्य**" से उत्तराखण्ड राज्य अभिप्रेत है ;

(घ) "**पीड़ित**" से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है, जिसे अपराध, ऐसिड अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, इसमें पीड़ित व्यक्ति का आश्रित परिवार भी सम्मिलित है।

अपराध से पीड़ित सहायता कोष

3. (1) राज्य सरकार, अपराध से पीड़ित एक सहायता कोष की स्थापना करेगी। योजनान्तर्गत कोष से सहायता की राशि पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रितों को, जिनकी ऐसिड़ अटैक, मानव तस्करी, गम्भीर दुर्घटना आदि अपराधों के कारण हानि या क्षति हुई हो और जिन्हें पुनर्वास की आवश्यकता हो, को **अनुसूची** 1 में दी गई धनराशि का भुगतान यथा रीति किया जा सकेगा।

(2) राज्य सरकार, इस योजना के लिए प्रत्येक वर्ष पृथक से आय–व्ययक में सहायता धनराशि आवंटित करेगी, जिसे इस हेतु स्थापित किये जाने वाले कार्पस फण्ड में रखा जायेगा। किसी राष्ट्रीयकृत बैंक में सावधि जमा खाता खोलकर इस कोष की धनराशि जमा की जायेगी।

(3) सहायता कोष में विभिन्न स्रोतों से जो राजकीय अथवा अराजकीय हों, दान, उपहार एवं अनुदान की धनराशि भी आय–व्ययक के अतिरिक्त मान्य होगी।

(4) सहायता कोष के लिए आय–व्ययक में स्वीकृति धनराशि पुलिस महानिदेशक के निर्वतन पर रखी जायेगी, जिसका भुगतान प्रमुख सचिव/सचिव, गृह विभाग उत्तराखण्ड शासन एवं पुलिस महानिदेशक के संयुक्त हस्ताक्षरों से एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा। जनपदों में भुगतान संबंधित जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक के संयुक्त हस्ताक्षरों द्वारा एकाउंट पेई चैक के माध्यम से किया जायेगा।

सहायता के लिए अर्हता

4. सहायता की राशि प्राप्त करने के लिए कोई पीड़ित व्यक्ति या पीड़ित व्यक्ति के आश्रित अर्ह होंगे; यदि–

(क) अपराधी नहीं पकड़ा गया हो अथवा उसकी शिनाख्त नहीं हुई हो किन्तु पीड़ित की शिनाख्त हो गई हो और विचारण प्रचलित नहीं हुआ हो, ऐसा पीड़ित भी अधिनियम की धारा 357–"क" की उपधारा (4) के अधीन सहायता के लिए आवेदन कर सकेगा;

(ख) पीड़ित/दावाकर्ता प्रभारी मजिस्ट्रेट या क्षेत्र के न्यायिक मजिस्ट्रेट को अपराध की रिपोर्ट कर देता है;

परन्तु यह कि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो रिपोर्ट में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगी;

(ग) पीड़ित/दावाकर्ता विवेचना एवं अभियोग के दौरान पुलिस एवं अभियोजन को सहयोग करे।

सहायता प्रदान करने की प्रकिया

5. (1) जब कभी न्यायालय द्वारा कोई संस्तुति की जाती है अथवा अधिनियम की धारा 357–"क" की उपधारा (2) के अन्तर्गत पीड़ित या उसके आश्रितों द्वारा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को कोई आवेदन किया जाता है तो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण मामले का परीक्षण करेगा और मामले के संसूचित आपराधिक गतिविधि के मध्य पीड़ित को उत्पन्न हुई हानि या क्षति की दृष्टि से दावे के विवरणों को सत्यापित करेगा तथा सूचना की वास्तविकता के निर्धारण के क्रम में कोई अन्य सम्बद्ध आवश्यक सूचना को मंगायेगा। दावे के सत्यापन के पश्चात् जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस योजना के उपबन्धों के अनुसरण में दो माह के भीतर सहायता की मात्रा का निर्धारण करेगा।

(2) इस योजना के अन्तर्गत सहायता का भुगतान इस शर्त के अधीन किया जायेगा कि यदि विचारण न्यायालय द्वारा वाद की तारीख में अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन अभियुक्त व्यक्ति को सहायता के रूप में कोई धनराशि का भुगतान करने के आदेश पारित किये जाय तो पीड़ित व्यक्ति/दावाकर्ता आदेशित सहायता की धनराशि के बराबर की धनराशि वापस करेगा अथवा उक्त अधिनियम की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेशित धनराशि का, जो भी कम हो, भुगतान करेगा। ऐसे प्रभाव के लिए पीड़ित व्यक्ति/दावाकर्ता द्वारा सहायता की धनराशि के भुगतान करने से पूर्व एक शपथ–पत्र दिया जायेगा।

(3) जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, पीड़ित को हुई क्षति के आधार पर चिकित्सा पर आए चिकित्सा व्यय, दाह संस्कार के रूप में ऐसे आकस्मिक अधिभारों सहित पुनर्वास के लिए अपेक्षित न्यूनतम आवश्यक धनराशि पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों को दिए जाने वाले सहायता की मात्रा को निर्णीत करेगा। सहायता पृथक–पृथक मामलों में प्रत्येक मामलें के तथ्यों के आधार पर भिन्न–भिन्न हो सकेगी।

(4) योजना के अधीन दिए जाने वाली सहायता की मात्रा, पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों, जैसी स्थिति हो, निधि से वितरित की जाएगी।

(5) प्रश्नगत अपराध के सम्बन्ध में पीड़ित द्वारा राज्य से प्राप्त सहायता अर्थात् बीमा, अनुग्रही अदायगी और/अथवा किसी अन्य अधिनियम अथवा राज्य द्वारा संचालित कोई योजना के अधीन प्राप्त भुगतान इन नियमों के अधीन सहायता की धनराशि के भाग के रूप में मानी जायेगी। यदि अन्य स्रोतों से प्राप्त सहायता धनराशि इस योजना के अन्तर्गत निर्धारित सहायता धनराशि से अधिक या समतुल्य हो तो इस योजना से कोई भी सहायता धनराशि अनुमन्य नहीं होगी।

(6) मोटर यान अधिनियम, 1988 (अधिनियम सं0 59 वर्ष 1988) के अन्तर्गत आच्छादित मामले जिसमें मोटर दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण ने क्षतिपूर्ति का आदेश पारित कर दिया है, इस योजना के अन्तर्गत आच्छादित नहीं होंगे।

(7) पीड़ित को परेशानियों से छुटकारा दिलाने के लिए जिला विधिक सेवा प्राधिकरण थानाध्यक्ष के प्रमाण–पत्र या क्षेत्र से सम्बन्धित मजिस्ट्रेट के प्रमाण–पत्र पर तत्काल प्राथमिक सुविधा या उपलब्ध चिकित्सा लाभ निःशुल्क या कोई अन्य अनुतोष जो उचित हो, का आदेश पारित कर सकेंगे।

आदेश अभिलेखों में रखना 6. इस योजना के अन्तर्गत पारित सहायता धनराशि के भुगतान सम्बन्धी आदेश की प्रति विचारण न्यायालय के समक्ष रखना बाध्यकारी होगी, जिससे विचारण न्यायालय को दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357 की उपधारा (3) के अधीन आदेश पारित करने में सुलभता हो सके।

समयावधि 7. दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 357–"क" की उपधारा (4) के अधीन पीड़ित व्यक्ति अथवा उसके आश्रितों द्वारा किए जाने वाला कोई दावा

राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा अपराध के छः माह की अवधि के पश्चात् ग्रहण नहीं किया जायेगा;

परन्तु यह कि राज्य अथवा जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो दावे को प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब के कारण अभिलिखित करते हुए विलम्ब को मर्षित कर सकेगा।

अपील

8. जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा सहायता की अस्वीकृति से व्यथित कोई पीड़ित 90 दिनों की अवधि के भीतर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के समक्ष अपील प्रस्तुत कर सकता है ;

परन्तु यह कि राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, यदि संतुष्ट है तो अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कारण अभिलिखित करते हुए मर्षित कर सकेगा।

अनुसूची–1

क्र0सं0	हानि या क्षति का विवरण	सहायता की अधिकतम सीमा
1	2	3
1	बलात्कार	रू0 2,00,000/–
2	मानव तस्करी से स्त्रियों और बच्चों को हुई मानसिक पीड़ा से क्षति	रू0 1,00,000/–
3	मृत्यु	रू0 2,00,000/–
4	गम्भीर चोट के लिए भारतीय दण्ड विधान–1860 की धारा 320 में यथापरिभाषित	रू0 20,000/–
5	तेजाब से हमला	
	(क) यदि चेहरा/सिर क्षतिग्रस्त हुआ हो	रू0 1,50,000/–
	(ख) यदि अन्य अंग क्षतिग्रस्त हुये हों	रू0 30,000/–
6	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से अधिक व 80 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हो	रू0 50,000/–
7	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जिससे शरीर में 40 प्रतिशत से कम विकलांगता घटित हुई हों	रू0 10,000/–
8	शरीर के किसी अंग या हिस्से का नुकसान, जो 80 प्रतिशत से अधिक विकलांगता हों	रू0 1,00,000/–
9	अप्राप्तवय का बलात्कार	रू0 2,50,000/–
10	पुनर्वास	
	(क) बलात्कार पीड़िता के सन्दर्भ में	रू0 1,00,000/–
	(ख) अन्य प्रकरणों के सन्दर्भ में	रू0 20,000/–
11	बच्चों को साधारण क्षति या हानि	रू0 10,000/–

आज्ञा से,

ओम प्रकाश,
प्रमुख सचिव।